



NSE

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

“एक्सचेंज प्लाजा”, सी-१, ब्लॉक जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१, महाराष्ट्र, भारत.

सार्वजनिक सूचना

सेबी (इक्षिटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, २०२१ के विनियम ३२(५) (ए), के अनुसार कंपनियों के इक्षिटी शेयरों की अनिवार्य असूचीबद्धता के लिए सार्वजनिक सूचना।

यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कंपनी के इक्षिटी शेयरों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्षिटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, २०२१ (“डीलिस्टिंग विनियम”) के विनियम ३२(५) (ए), प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, १९५६ की धारा २१ए, प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, १९५७ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एक्सचेंज”) के उपनियमों और विनियमों के अनुसार ०५ जुलाई, २०२४ से डीलिस्ट कर दिया गया है।

कंपनी को गैर-अनुपालन के कारण अनिवार्य रूप से डीलिस्ट किया गया।

कंपनी का नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता*	उचित मूल्य (रुपये प्रति शेयर)	कंपनी के प्रवर्तकों का नाम	कंपनी के प्रवर्तकों का पता**
सोनी सोया प्रोडक्शन लिमिटेड कार्यालय संख्या: CS-1, पी स्कायर बिल्डिंग दूसरी मंजिल, ३५०, गोयल नगर, इंदौर- मध्य प्रदेश-४५२०१६.	२४.११/-	दिलीप कुमार सोनी	३४, आशीष नगर, अङ्गोस पडोस अपार्टमेंट के सामने, कनाडिया इंदौर-४५२०१६ मध्य प्रदेश, भारत। और पुराना-२२बी १८/२७६ पाल्या रोड, आर्य समाज नागदा के पास, उज्जैन-४५६३३५, मध्य प्रदेश, भारत।
		जावेद अली	१२०/१, छोटी मस्जिद के पास, जुना रिसाला, इंदौर-४५२००२, मध्य प्रदेश, भारत।

*पता एमसीए/एक्सचेंज के रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध है।

**पता एक्सचेंज के रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध है।

टिप्पणियां:

अनिवार्य डीलिस्टिंग के परिणाम निम्नलिखित हैं:

ए. असूचीबद्धता विनियमों के विनियम ३४ (१) के अनुसार, कंपनी, इसके पूर्णकालिक निदेशक, प्रतिभूति कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, इसके प्रवर्तक, और इनमें से किसी के द्वारा प्रवर्तित की गई कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार तक पहुंच नहीं बनाएंगी या किसी इक्षिटी शेयर को सूचीबद्ध करने की मांग नहीं करेंगी या ऐसी असूचीबद्धता की तारीख से दस (१०) वर्ष की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार में मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेंगी।

बी. किसी कंपनी के मामले में जिसका उचित मूल्य सकारात्मक है-

- ऐसी कंपनी और डिपॉजिटरी प्रवर्तक/प्रवर्तकों के समूह द्वारा रखे गए किसी भी इक्षिटी शेयर और लाभांश, अधिकार, बोनस शेयर, विभाजन आदि जैसे कॉर्पोरेट लाभों का बिक्री, गिरवी आदि के माध्यम से हस्तांतरण नहीं करेंगे, प्रवर्तकों/प्रवर्तक समूह द्वारा रखे गए सभी इक्षिटी शेयरों पर तब तक रोक रहेगी, जब तक कि ऐसी कंपनी के प्रवर्तक इन विनियमों के विनियम ३३ के उप-विनियम (४) के अनुपालन में सार्वजनिक शेयरधारकों को बाहर निकलने का विकल्प प्रदान नहीं करते हैं, जैसा कि संबंधित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रमाणित किया गया है;
- अनिवार्य रूप से असूचीबद्ध की गई कंपनी के प्रवर्तक, पूर्णकालिक निदेशक और प्रतिभूति कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भी तब तक किसी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक बनने के लिए पात्र नहीं होंगे, जब तक कि खंड (६) में उल्लिखित के अनुसार बाहर निकलने का विकल्प प्रदान नहीं किया जाता है।

सी. सार्वजनिक शेयरधारकों को बाहर निकलने का अवसर देने का दायित्व कंपनी के प्रवर्तकों पर है।

डी. असूचीबद्धता विनियमों के विनियम ३३ (४) के अनुसार, कंपनी के प्रवर्तक, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से असूचीबद्धता की तारीख से तीन महीने के अंदर, मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान करके सार्वजनिक शेयरधारकों से असूचीबद्ध इक्षिटी शेयरों का अधिग्रहण करेंगे, बशर्ते कि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास अपने शेयर रखने का विकल्प हो।

ई. असूचीबद्धता विनियमों के विनियम ३३ (५) के अनुसार, यदि विनियम ३३ के उप-विनियम (३) के अनुसार देय मूल्य का भुगतान विनियम उप-विनियम (४) के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के अंदर सभी शेयरधारकों को नहीं किया जाता है, तो प्रवर्तक उन सभी शेयरधारकों को दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो अनिवार्य असूचीबद्धता ऑफर के अंतर्गत अपने शेयर पेश करते हैं।

कोई भी प्रश्न डीलिस्टिंग समिति को संबोधित किया जा सकता है, सूचीबद्धता विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाजा, सी-१, ब्लॉक-जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ | संपर्क नंबर: +९१ २२ २६५९८९०० (३२०१४), ई-मेल: vgandhi@nse.co.in, delisting@nse.co.in with cc to dl-insp-enf-delisting@nse.co.in.

प्रश्नों को अनिवार्य रूप से ऊपरोक्त ईमेल पते पर ईमेल किया जाना चाहिए। किसी भी गुमनाम प्रश्न को वैध नहीं माना जाएगा।

स्थान: मुंबई

दिनांक: ३ अगस्त, २०२४

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से